

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौडगढ

अनवान

1. सुनील पिता बालुलाल जाति नाई आयु नाबालिग जरिये माता श्रीमती निर्मला पत्नि बालुलाल जाति नाई निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. विनोद पिता बालुलाल जाति नाई आयु नाबालिग जरिये माता श्रीमती निर्मला पत्नि बालुलाल जाति नाई निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम भटवाडा कलां तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।

वादीगण

बनाम

1. धीसुलाल पुत्र काना जाति नाई आयु बालिग निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. श्री तहसीलदार राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)
3. श्री उपपीजयक अधिकारी राशमी जिला चित्तौडगढ राज0
4. श्री पटवारी साहब पटवार हल्का आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

--:: वादपत्र खातेदारी अधिकार की घोषण, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::-

प्रकरण संख्या :- 141/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री मनोहर गोस्वामी अधिवक्ता वादी श्री हरिश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा आरणी पटवार हल्का आरणी ए तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1682,2124,3909,3912,3915,3916 मे सुनील,विनोद पिता बालु लाल नाई आयु नाबालिग जरिये माता निर्मला पत्नि बालुलाल जाति नाई सा0देह का 1/5 एवं धीसुलाल पुत्र काना नाई सा0देह का 4/5 हक हिस्सा संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही पक्षवादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा इस आशयम की जारी की जाती है कि प्रतीवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलदस्त अन्दाजी नही करें एवं ना करावें। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुररुस्त किया जावें। रहन बदस्तूर किया जावें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.05.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नीता वसीठा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

